भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2628
04/08/2026 को उत्तर के लिए

अवैध मत्स्यपालन

2628. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अवैध मत्स्यपालन की पहचान करने और उसका आकलन करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;
(ख) यदि हां, तो देश में विगत पांच वर्षों के दौरान, राज्य-वार तथा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले में जिला-वार पता लगाए गए अवैध मत्स्यपालन के मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान अवैध मत्स्यपालन के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, और इसमें देशभर में राज्य-वार तथा जिला-वार आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले में बंद की गई इकाइयों की संख्या कितनी है; और
(घ) सरकार द्वारा अवैध मत्स्यपालन को रोकने एवं कम करने तथा मछुआरों और तटीय समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क)से (ग): 'मात्स्यिकी' राज्य का विषय है, और प्रत्येक तटीय राज्य ने बेसलाइन से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर मत्स्यन गतिविधियों के संचालन के लिए अपना समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम (MFRA) अधिनियमित किया है। क्षेत्रीय जल क्षेत्र से परे अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मात्स्यिकी का विनियमन केंद्र सरकार द्वारा भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जहाजों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन का संधारणीय उपयोग नियम, 2025 के माध्यम से विनियमित होता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही मत्स्यन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आंध्र प्रदेश समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम (AP-MFRA) और AP-MFR नियमों को लागू किया गया है तथा विगत 4 वर्षों के दौरान पूरे राज्य में AP-MFRA के जिला-वार उल्लंघनों का विवरण अनुबंध में है। यह भी सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में कोई तटरेखा नहीं है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि दक्षिण तटीय जिलों अर्थात् तिरुपति, SPSR नेलूर, प्रकाशम और बापटला के पास आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में तमिलनाडु और पुडुचेरी की यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाओं की निरंतर घुसपैठ होती रही है और विगत 5 वर्षों के दौरान अवैध रूप से मत्स्यन के लगभग 160 मामले दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2022-23 में, श्रीकाकुलम, कृष्णा, बापटला और प्रकाशम जिलों की 21 नौकाओं से मत्स्यन प्रतिबंध अवधि के उल्लंघन के लिए 52,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया और 31,000 रुपए मूल्य की मछलियां जब्त की गईं; वर्ष 2024-25 में, बापटला जिले की 3 नौकाओं से 7,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया और 5,000 रुपए मूल्य की मछलियां जब्त की गईं; तथा वर्ष 2025-26 में, काकीनाडा जिले की 1 नौका से 2,500 रुपए जुर्माना वसूला गया और 2,500 रुपए मूल्य की मछलियां जब्त की गईं।

(घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए छोटे आकार की (किशोर) मछलियां पकड़ने पर रोक लगाने और विनाशकारी मत्स्यन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से समय-समय पर सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किए हैं। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में जोड़े में बॉटम ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग और मत्स्यन में LED लाइटों के उपयोग पर प्रतिबंध है। सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर और उससे परे बुल ट्रॉलिंग तथा मत्स्यन के लिए LED लाइटों के उपयोग को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समुद्री कछुओं के संरक्षण की दिशा में 'टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस' (TEDs) का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधित समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियमों (MFRAs) की समीक्षा और संशोधन करने की सलाह दी है। TED के कार्यान्वयन को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 100% वित्तीय सहायता (60% केंद्रीय और 40% राज्य) के साथ शामिल किया गया है और सहायता प्रदान की गई है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का संधारणीय उपयोग नियम, 2025 को अप्रयुक्त मत्स्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में संसाधनों के संधारणीय उपयोग के लिए पारि-प्रणाली दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, तथा संरक्षण और प्रबंधन उपायों के कार्यान्वयन पर भी महत्त्व दिया गया है, जैसे कि मानसून या मत्स्य प्रजनन काल के दौरान मत्स्यन पर एकसमान प्रतिबंध, मत्स्य का न्यूनतम कानूनी आकार, बाईकैच में कमी, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं, मत्स्य भंडारों का संरक्षण या समुद्री रेंचिंग एवं कृत्रिम रीफ़्स स्थापित करने सहित कायाकल्प के उपाय आदि। ये नियम हमारे समुद्रों की जैव विविधता की रक्षा करने के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में विनाशकारी और किशोर मत्स्यन को भी प्रतिबंधित करते हैं।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करने से रोकने और इस संबंध में जागरूक करने के लिए समय-समय पर तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक (ICG) अन्य सुरक्षा और संरक्षा उपायों के साथ-साथ मछुआरों को IMBL के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए तटीय गांवों में नियमित रूप से सामुदायिक संवाद कार्यक्रम (CIPs) आयोजित करते हैं। ICG के जहाज और विमान, IMBL के पास नियमित गश्त के दौरान, भारतीय मत्स्यन नौकाओं को सुरक्षित रूप से भारतीय जल क्षेत्र में वापस लाने का कार्य करते हैं। मछुआरों को IMBL पार करने से बचने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से पड़ोसी देशों के साथ समन्वित गश्त भी की जाती है। भारतीय तट रक्षक, तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभागों और मात्स्यिकी संघों को भी IMBL के पास या उसके पार मत्स्यन खतरों के बारे में सचेत करता है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,00,000 मत्स्यन जहाजों पर ट्रांसपोंडर लगाने सहित 'पोत संचार और सहायता प्रणाली' (VCSS) के राष्ट्रीय रोलआउट के लिए PMMSY के तहत 364.0 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली एक परियोजना को मंजूरी दी है। इन मत्स्यन जहाजों में 100% सरकारी सहायता से ट्रांसपोंडर लगाए जा रहे हैं। इन ट्रांसपोंडरों में जियो-फेंसिंग की विशेषताएं हैं, ताकि मछुआरों को मत्स्यन के अधिकृत क्षेत्रों के करीब पहुंचने या उन्हें पार करने पर सतर्कता संदेश मिल सके और राज्यों की सीमाओं को पार करने या अनधिकृत रूप से मत्स्यन घटनाओं को रोका जा सके।

अनुबंध

अवैध मत्स्यपालन के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा पूछे गए 4 अगस्त 2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2628 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	वर्ष	जिला	AP MFR अधिनियम के तहत देखे गए उल्लंघनों की संख्या
1.	2022-23	श्रीकाकुलम	2
		कृष्णा	1
		बापटला	1
		प्रकाशम	17
2.	2023-24	शून्य	Nil
3.	2024-25	बापटला	3
4.	2025-26	काकीनाडा	1